

// कार्यालयीन आदेश //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15-(ख),(1) के अंतर्गत एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14/01/2023 के पद क्रमांक 11 (अ-अ-1) के अनुमोदन के आधार पर प्रोफेसर डी0एन0 गोस्वामी की नियुक्ति कुलाधिसचिव (रेक्टर) के पद पर दिनांक 14.01.2023 से की गई है माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार माननीय कुलाधिसचिव जी को निम्नलिखित कार्य हेतु अधिकृत किया जाता है।

1. कुलपति जी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये समस्त कार्य।
2. कुलपति जी की अनुपस्थिति में प्रभारी कुलपति के रूप में कुलपति के दैनंदिनी कार्य।
3. विभिन्न परीक्षाओं (स्नातक एवं स्नातकोत्तर आदि) के परीक्षकों की नियुक्ति के पैनल का अनुमोदन।
4. प्रायोगिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा एवं अन्य परीक्षा कार्य हेतु नियुक्त शिक्षकों के टैक्सी द्वारा यात्रा देयकों की स्वीकृति।
5. पी.एच.डी. पंजीयन, पुनः पंजीयन, पी.एच.डी. एकसटेशन आदि कार्य (पी.एच.डी. परीक्षकों की नियुक्ति को छोड़कर)।
6. अतिथि शिक्षकों के चयन का कार्य।
7. समस्त अकादमिक कार्य में कुलपति के सहयोगी के रूप में कार्य करना।
8. कार्यपरिषद के सदस्य के रूप में कार्यपरिषद की बैठकों में लिये गये निर्णयों का कियान्वयन।
9. बोर्ड ऑफ स्टडीज, फैकल्टी, अकादमिक काउंसिल एवं स्टेडिंग कमेटी में शामिल होकर उनके द्वारा लिये गये निर्णयों की समीक्षा।
10. कार्यपरिषद के सदस्यों द्वारा समय-समय पर भेजे गए पत्रों पर कार्यवाही एवं समाधान करना।
11. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली एवं अन्य अनुदान प्रदान करने वाली संस्थाओं से संबंधित कार्य।
12. समस्त अकादमिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी करना।
13. विश्वविद्यालय के (COE) संबंधी कार्य।

उपरोक्त कार्यों के कियान्वयन/सम्पादन हेतु उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार


कुलाधिसचिव

दिनांक 25/01/2023

पृ0क्र0:एफ/प्रशा/स्था/2023/6410

प्रति,

प्रो0 डी0एन0 गोस्वामी,
कुलाधिसचिव
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

प्रतिलिपि:-

1. समस्त समन्वयक/विभागाध्यक्ष/निदेशक, अध्ययनशालाएँ, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. समस्त अधिकारी/अधीक्षक, जीवाजी विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ।
3. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. कुलाधिसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

सहायक कुलाधिसचिव (प्रशा0)